

ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत पंजीकरण का चैनल

शाखा

ग्राहक द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत उपलब्ध किसी भी शाखा में दर्ज की जा सकती है। शाखा प्रबंधक ग्राहक के लिए प्रथम-संवाद का उत्तरदायी और केंद्र होगा।

कस्टमर केयर सेंटर

ग्राहक केंद्रीकृत ग्राहक सेवा टीम को 1800-103-9039 पर भी कॉल कर सकते हैं। ग्राहक की ओर से शाखा केंद्रीकृत ग्राहक सेवा को भी इसकी सूचना दे सकती है।

केंद्रीकृत ग्राहक सेवा का संपर्क प्रत्येक शाखा कार्यालय की डेस्क में प्रदर्शित किया जाता है।

हमें लिखें

ग्राहक हमें customercare@skfin.in पर ईमेल करके या हमारी वेबसाइट <https://www.skfin.in/contactus.php> पर अपनी चिंता बताकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं

वृद्धि तंत्र

चरण 1 में समाधान आपकी उम्मीद के अनुरूप नहीं है	यदि विवाद/शिकायत का समाधान <u>पंद्रह दिनों</u> के भीतर नहीं किया जाता है	यदि विवाद/शिकायत का समाधान <u>एक माह</u> के भीतर नहीं किया जाता है
प्रथम स्तर	दूसरा स्तर	तीसरा स्तर (RBI से संपर्क करें)
श्री चेतन गुप्ता, शिकायत निवारण अधिकारी, G1-2 आदर्श प्लाजा बिल्डिंग, खासा कोठी सर्कल, जयपुर-302001 ईमेल: customercare@skfin.in	सुश्री अनुभा खंडेलवाल, प्रधान नोडल अधिकारी, एम-8, आदर्श प्लाजा, खासा कोठी सर्कल, जयपुर-302001 ईमेल: customercare@skfin.in	महाप्रबंधक, केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017
कार्यालय: 0141-4161551 टोल फ्री: 1800-103-9039	कार्यालय: 0141-4161552 टोल फ्री: 1800-103-9039	टोल फ्री नंबर: 14448 (सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे तक)
		शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल: https://cms.rbi.org.in